## संयुक्त प्रान्त अफीम धूम्रपान अधिनियम 1934 {संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 3, 1934}

THE UNITED PROVINCES OPIUM SMOKING ACT, 1934
[U.P. ACT NO. III OF 1934]

### संयुक्त प्रान्त अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934<sup>1</sup> (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1934)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1953<sup>2</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 ,1961 द्वारा संशोधित

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया (एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वज्ञरा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

{गवर्नर ने 17 मार्च, 1934 तथा गवर्नर जनरल ने 19 अप्रैल, 1934 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट की धारा 81 के अधीन 5 मई, 1934 को प्रकाशित<sup>3</sup> हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अगस्त, 1953 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 29 अगस्त, 1953 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने 6 अक्तूबर, 1953 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 अक्तूबर, 1953 को प्रकाशित हुआ।}

संयुक्त प्रान्त में अफीम के धूम्रपान से सम्बन्धित विधि को संशोधित करने के लिए

#### अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में अफीम का धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के रिजस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने तथा अफीम के धूम्रपान को अन्ततः प्रतिषिद्ध करने की दृष्टि से संयुक्त प्रान्त में अफीम के धूम्रपान से सम्बन्धित विधि को संशोधित किया जाय;

और इस अधिनियम को पारित करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की धारा 80-ए की उपधारा (3) के अधीन गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

अतः एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

#### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

1—— (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण {उत्तर प्रदेश} में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे {राज्य सरकार} गजट में अधिसूचना द्वारा, तदर्थ नियत करे और उस दिनांक से ही यूनाइटेड प्राविंसेज ओपियन स्मोकिंग ऐक्ट, 1925 निरसित हो जायेगा।

यू.पी. ऐक्ट संख्या 2 1925

<sup>1.</sup> उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट, 1938, भाग 8, पृष्ठ 188 देखिए।

<sup>2.</sup> उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए असाधारण गजट, दिनांक 6 जुलाई, 1953 देखिए।

<sup>3.</sup> गजट 1934, भाग 7, पृष्ठ 30-33 देखिए।

<sup>4.</sup> एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।

यह अधिनियम 1 अगस्त 1935 को प्रभावी हुआ। गजट 1935, भाग 1, पृष्ठ 932 पर विज्ञप्ति संख्या 337/ बारह –95, दिनांक 11 जुलाई, 1935 देखिए।

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

**(धारा 2–3)** 

2-- जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में

परिभाषायें

(1) ''अफीम'' का वही अर्थ है जो कि ओपियम ऐक्ट, 1878 में उसका है;

अफीम 1878 का 1

(2) ''निर्मित अफीम'' का तात्पर्य अफीम के ऐसे उत्पाद से है जो अफीम को, धूम्रपान करने के लिये उपयुक्त सत्व के रूप में रूपान्तरित करने के लिये की गयी किसी प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला के परिणामस्वरूप प्राप्त हो और इसके अन्तर्गत चंडू, मदक तथा कीट या ऐसा अविशष्ट पदार्थ, जो अफीम का धूम्रपान करने के उपरान्त बचा रहता है, भी है;

निर्मित अफीम

(3) ''स्थान'' के अन्तर्गत कोई भवन गृह, दुकान, बूथ, तम्बू, जलयान, बेड़ा तथा यान और उसका कोई भाग भी है;

स्थान

(4) "कलेक्टर" का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के मुख्य प्रभारी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई डिप्टी कमिश्नर तथा देहरादून का अधीक्षक भी है;

कलैक्टर

(5) ''मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इस अधिनियम के अधीन के मामलों का विचारण करने के लिये {राज्य सरकार} द्वारा विशेष रूप से सशक्त किये गये द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से हैं:

मजिस्ट्रेट

(6) "आबकारी आयुक्त" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त ऐक्साइज ऐक्ट, 1910 की धारा 10 (2) (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है; आबकारी आयुक्त यू.पी. ऐक्ट संख्या 4, 1910

(7) "आबकारी विभाग का अधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त या संयुक्त प्रान्त एक्साइज ऐक्ट, 1910 की धारा (2) (घ) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उस ऐक्ट की धारा 10 (2) (ङ) के अधीन सशक्त कोई अधिकारी या व्यक्ति भी है;

आबकारी विभाग का अधिकारी यू.पी.ऐक्ट संख्या 4 1910

(8) ''अधिसूचना'' का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है; और

अधिसूचना

(9) ''रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निर्मित अफीम के धूम्रपानकर्ता के रूप में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो।

रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता

#### अध्याय 2

#### प्रतिषेध तथा नियंत्रण

3— (1) {राज्य सरकार}<sup>1</sup> , ऐसे व्यक्तियों का एक रजिस्टर तैयार करायेगी, जिनकी आयु पच्चीस वर्ष से कम न हो और जिनमें निर्मित अफीम के धूम्रपान करने की आदत हो।

धूम्रपान कर्ताओं का रजिस्टर

यह अधिनियम इस तालिका के स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति (यदि कोई है) के अन्तर्गत स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है जिनका उल्लेख स्तम्भ 1 में किया गया है।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश, जिनके अन्तर्गत प्रसारित किये गये	विज्ञप्ति, यदि कोई है जिनके अन्तर्गत प्रभावी कि गया	तिथि, जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1–जिला रामपुर			
2— जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	वि. सं. <u>1892 / 17,</u> 27 जून, 1950	दिनांक 1 जुलाई, 1950 तदेव
3– जिला टेहरी– गढ़वाल	टेहरी–गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज आर्डर, 1949)	वि.स. <u>1826 / 17</u> , 27 जून, 1950	तदेव

एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शयल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जी एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

धारा 4-8}

- (2) ऐसा रजिस्टर ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से तैयार किया जायेगा, जो {राज्य सरकार} इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित करे और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी तथा वह ऐसे प्रपत्र में होगा, जो आबकारी आयुक्त अधिसूचना द्वारा विहित करें।
- (3) ऐसा रजिस्टर ऐसे दिनांक को बन्द कर दिया जायगा, जो {राज्य सरकार} दारा नियत किया जाय तथा सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाय, और ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुये जिन्हें (राज्य सरकार) अधिसूचना द्वारा विहित करे, उसमें उस दिनांक के पश्चात् कोई नयी प्रविष्टि नहीं की जायगी।
- (4) ऐसे सभी व्यक्ति, जो निर्मित अफीम के धूम्रपानकर्ता के रूप में, रजिस्टर में प्रविष्टियों के बन्द होने के दिनांक तक, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र हों, रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता समझे जायेंगे चाहे उनके नाम रजिस्टर में वास्तव में प्रविष्ट किए गए हों या नहीं।
- 4— (1) कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता न हो, निर्मित अफीम का किसी भी मात्रा में, चाहे वह कितनी भी हो, न तो धूम्रपान करेगा, न उसे विनिर्मित करेगा, न उसे अपने कब्जे में रखेगा।

(2) कोई भी रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता, तौल में आधा तोला से या अपेक्षाकृत कम ऐसे अन्य परिमाण से जो {राज्य सरकार} इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित करे, अधिक निर्मित अफीम किसी भी एक समय अपने कब्जे में न तो रखेगा, न विनिर्मित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में कोई रिजस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता कोई निर्मित अफीम किसी ऐसे अफीम से विनिर्मित नहीं करेगा, जो ओपियम ऐक्ट, 1878 की धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्राप्त करने से अन्यथा प्राप्त की गई हो और न कोई रिजस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता निर्मित अफीम, जिसे इस प्रकार विनिर्मित किया गया हो, किसी भी परिमाण में अपने कब्जे में रखेगा।

(3) कोई व्यक्ति निर्मित अफीम के विनिर्माण में किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता हो या नहीं, सहायता न करेगा।

5— यदि किसी व्यक्ति के, जो रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता न हो, कब्जे में निर्मित अफीम पाई जाय या निर्मित अफीम के धूम्रपान या विनिर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला कोई साधित्र पाया जाय तो, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसा व्यक्ति निर्मित अफीम का धूम्रपान करता है।

6— कोई व्यक्ति निर्मित अफीम का न तो विक्रय करेगा, न उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा और न उसका विक्रय करने का प्रयत्न करेगा।

7— दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, चाहे वे रिजस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता हों या न हों, जमाव धूम्रपानकर्ताओं का जमाव कहा जाता है, यदि ऐसे व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य निर्मित अफीम का ध्रुम्रपान करना या विनिर्माण करना हो।

स्पष्टीकरण—— कोई जमाव, जो इक्ट्ठा होते समय धूम्रपानकर्ताओं का जमाव नहीं था, बाद को ऐसा जमाव हो सकेगा।

8— जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को अफीम के धूम्रपानकर्ताओं का जमाव बनाते हैं, उस जमाव में सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह उस जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है।

निर्मित अफीम का अरजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ताओं द्वारा घूम्रपान किया जाना

रजिस्ट्रीकृत धूम्रपान— कर्ताओं द्वारा विनिर्माण तथा कब्जे में रखा जाना

1878 का 1

निर्मित अफीम के विनिर्माण में सहायता

कतिपय मामलों में निर्मित अफीम के धूम्रपान के बारे में उपधारणा

निर्मित अफीम का विक्रय

अफीम के धूम्रपान कर्त्ताओं का जामव

अफीम के धूम्रपानकर्ताओं के जमाव का सदस्य होना

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राचिन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के प्रतिस्थापित किया गया था।

धारा 9-13}

9— किसी ऐसे स्थान में जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति, चाहे वे रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता हों या न हों, जमा हों, निर्मित अफीम की या निर्मित अफीम के धूम्रपान के लिए किन्हीं नलिकाओं या साधित्र की या निर्मित अफीम के विनिर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले किसी साधित्र की उपस्थिति यह उपधारणा करने के लिए पर्याप्त मानी जायगी कि ऐसे व्यक्ति ऐसे स्थान पर, निर्मित अफीम का धूम्रपान करने या उसका विनिर्माण करने के सामान्य उद्देश्य से जमा हुए हैं।

अफीम और अफीम का धूम्रपान करने के साधित्र की उपस्थिति से की जाने वाली उपधारणा

10—— (1) {राज्य सरकार}<sup>1</sup>, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

- (2) विशिष्टतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम —
  - (क) वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा तथा वह रीति, जिससे धारा 3 में निर्दिष्ट रजिस्टर तैयार किया जायगा तथा रखा जायगा, विहित कर सकेंगे;
  - (ख) उन शर्तों तथा निर्बन्धनों को, जिनके अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता निर्मित अफीम का विनिर्माण कर सकेगा, उसे कब्जे में रख सकेगा या धूम्रपान कर सकेगा, विनियमित कर सकेंगे;
  - (ग) वे शर्तें, जिनके अधीन तथा वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता का नाम रजिस्टर से हटाया जा सकेगा, विहित कर सकेंगे;
  - (घ) इस अधिनियम के अधीन अधिकृत वस्तुओं के व्ययन का विनियमन कर सकेंगे; तथा
  - (ङ) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्मानों में से इनामों के भुगतान को विहित तथा विनियमित कर सकेंगे।
- (3) नियमों को बनाने के लिए इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कोई भी नियम पूर्व प्रकाशन के बिना उस दशा में बनाए जा सकेंगे, जब {राज्य सरकार}¹ का विचार हो कि उन्हें त्रन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए।

11 — कोई रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित शर्तों का अनुपालन और निर्बन्धनों का पालन न करेगा, वह एतद्पश्चात् विहित शास्तियों के अतिरिक्त, अपना नाम धूम्रपानकर्ताओं के रजिस्टर से हटाए जाने का भी भागी होगा।

धूम्रपानकर्ताओं के रजिस्टर से अपना नाम हटाए जाने का रजिस्ट्रीकृत–धूम्रपान कर्ता का दायित्व

#### अध्याय—3 शास्तियाँ

12— जो कोई रजिस्ट्रीकृत धूम्रपानकर्ता न होते हुए, निर्मित अफीम का धूम्रपान करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायगा।

अरजिस्ट्रीकृत—धूम्रपान कर्ताओं द्वारा धूम्रपान के लिए

13— जो कोई धारा 4 का उल्लंघन करके, निर्मित अफीम का विनिर्माण करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा या निर्मित अफीम के विनिर्माण में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा।

निर्मित अफीम का अप्राधिकृत रूप से विनिर्माण करने या कब्जा रखने के लिए

एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जो एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के प्रतिस्थापित किया गया था।

**धारा 14-19**}

14— जो कोई धूम्रपानकर्ताओं के जमाव का सदस्य होगा, वह कारावास से, जिसकी अविध तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा।

अफीम के धूम्रपानकर्ताओं के जाव का सदस्य होने के लिए

15— जो कोई अफीम के धूम्रपानकर्ताओं के जमाव के प्रयोजन के लिए किसी स्थान को खोलेगा, रखेगा या उसे उपयोग में लाएगा या किसी ऐसे स्थान के खोले जाने, रखे जाने या उपयोग में लाए जाने की अनुज्ञा देगा या पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले या रखे जाने वाले किसी स्थान की देख—रेख करेगा या उसका प्रबन्ध करेगा या उसके कारबार के संचालन में किसी प्रकार से सहायता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा।

निर्मित अफीम के धूम्रपान के लिए उपयोग मेंल ाए जाने वाले स्थान को रखने या उसका प्रभारी होने के लिए

16— जो कोई निर्मित अफीम का विक्रय करेगा या उसके विक्रय के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या उसका विक्रय करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा।

निर्मित अफीम का विक्रय करने के लिए

17— जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाय या न किया जाय, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दंडित किया जायगा।

अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए 1860 का 45

18— जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, वह ऐसे पश्चात्वर्ती अपराध के लिए उस दण्ड से दुगुने दण्ड का भागी होगा, जो प्रथम दोषसिद्ध पर अधिरोपित किया जा सकता था:

पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित दण्ड

प्रतिबन्ध यह है कि तृतीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में अपराधी को, जुर्माने के सिहत या बिना, कारावास का दण्ड दिया जायगा।

#### अध्याय—4 प्रक्रिया

19— यदि किसी मजिस्ट्रेट को जानकारी प्राप्त होने पर और ऐसे जांच के (यदि कोई हो) जिसे वह आवश्यक समझे, पश्चात् यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई स्थान इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वह आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसे पंक्ति से नीचे का न हो जिसे {राज्य सरकार} विहित करें, यह प्राधिकृत करने वाला वारन्ट जारी कर सकेगा कि वह —

तलाशी वारन्ट तथा तलाशी लेने की शक्ति

- (क) ऐसे स्थान में रात या दिन में किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनकी सहायता वह अधिकारी आवश्यक, समझे, प्रवेश करे ;
- (ख) ऐसे स्थान के सभी या ऐसे भागों की जिनके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां किसी निर्मित अफीम को, या निर्मित अफीम के विनिर्माण के या निर्मित अफीम के धूम्रपान के किसी साधित्र को छिपाया गया है तथा ऐसे सभी या किन्हीं व्यक्तियों की, जिन्हों वह ऐसे स्थान में पाए, तलाशी लें;

<sup>1.</sup> एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

धारा 19क-23}

- (ग) ऐसे स्थान में पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी है, गिरफ्तार करें; और
- (घ) सम्पूर्ण निर्मित अफीम को, निर्मित अफीम के धूम्रपान के या निर्मित अफीम के विनिर्माण के साधित्र को और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली किसी अन्य वस्तु को अभिगृहीत करे।

[19—क — जब कभी कलेक्टर को या आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो या किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पंक्ति में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से नीचे का न हो, यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि किसी स्थान में इस अधिनयम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है तथा अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए कोई वस्तु उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी वस्तु अनुचित विलम्ब किए बिना अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती तो वह अपने विश्वास के आधार लेखबद्ध करने के पश्चात किसी ऐसे स्थान की तलाशी ले सकेगा या लिवा सकेगा।}

तलाशी लेने की शक्ति

[20—— (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध जिसके अन्तर्गत उसकी धारा 102 और 103 में अन्तर्विष्ट तलाशी सम्बन्धी उपबन्ध भी हैं, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी के लिए वारन्टों के निष्पादन तथा ली जाने वाली तलाशियों पर लागू होंगे।

वारन्ट और तलाशी के विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 का लागू होना 1889 का अधिनियम सं. 5

(2) जब धारा 19—क के अधीन तलाशी ली जाय तो उस धारा के अधीन तैयार किए किसी अभिलेख की प्रतियां, अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को तत्क्षण भेज दी जायेंगी और तलाशी के स्थान के स्वामी या अध्यासी को उसकी प्रति, आवेदन दिए जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक मजिस्ट्रेट विशेष कारण से उसे निःशुल्क देना उचित न समझे, वह उसके लिए भुगतान करेगा।}²

21— जब कभी कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करे तो वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् के चौबीस घंटों के भीतर उसकी समस्त विशिष्टियों की रिपोर्ट अपने अव्यवहित उच्चतर पदाधिकारी को देगा, और गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति तथा अभिगृहीत समस्त वस्तुयें अविलम्ब उस अधिकारी को जिसने वारंट जारी किया हो या निकटतम पुलिस थाने को भेजी जायेगी।

गिरफ्तारी या अभिग्रहण की दशा में रिपोर्ट का किया

22— जब इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति जमानत देने को तैयार हो तो वह जमानत पर, या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के विवेकानुसार उसके मुचलके पर छोड़ दिया जायगा। जमानत और प्रतिभूति

23— पुलिस तथा भू—राजस्व विभाग का प्रत्येक अधिकारी {गांव सभा का प्रत्येक प्रधान और सेक्रेटरी} तथा प्रत्येक गांव का चौकीदार उसे नोटिस दिये जाने या उससे अनुरोध किये जाने पर, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में आबकारी विभाग के किसी भी अधिकारी को युक्तियुक्त सहायता देने के लिये बाध्य होगा।

आबकारी विभाग के अधिकारियों को सहायता

<sup>1.</sup> उ0 प्र0 अधिनियम सं. 25, 1953 की धारा 2 द्वारा बढ़ाई गयी।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 24-29}

24— इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध होने पर, न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि किसी निर्मित अफीम को या किसी उपकरण या साधित्र को जिसके संबंध में या जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया हो, या किसी पात्र, वेष्ठन या आवरक को, जिसमें ऐसी निर्मित अफीम, उपकरण या साधित्र पाया गया हो या ऐसे पात्र, वेष्ठन या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तुओं को अधिहृत या नष्ट किया जाय। निर्मित अफीम तथा अभिगृहीत वस्तुओं का अधिहरण तथा विनाश किया जाना

25— कोई भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर के या आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी के, जो पंक्ति में आबकारी निरीक्षक से नीचे का न हो, परिवाद या रिपोर्ट पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञान

#### अध्याय 5

#### प्रकीर्ण

26— इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आदिष्ट किसी कार्य के बारे में नुकसानी के लिये किसी सिविल न्यायालय में {सरकार} या कलेक्टर या {आबकारी पुलिस या भूराजस्व विभाग के किसी अधिकारी, गांव सभा के प्रधान या सेक्रेटरी या गांव के चौकीदार} के विरुद्ध कोई वाद नहीं होगा।

कतिपय वादों का वर्जन

27— कोई भी सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के संबंध में {सरकार} या कलेक्टर या {आबकारी पुलिस या भूराजस्व विभाग के किसी अधिकारी, गांव सभा के प्रधान या सेक्रेटरी या गांव के चौकीदार} के विरुद्ध किसी वाद का विचारण, और {राज्य सरकार} की पूर्व मंजूरी के बिना कोई मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये किसी आरोप का संज्ञान, तब तक न करेगा जब तक कि परिवादित कार्य के दिनांक के पश्चात् छः मास के भीतर वाद या अभियोजन संस्थित न कर दिया जाय।

वाद और अभियोजन की परिसीमा

28—— (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अभियोजन किया जाय, तो मजिस्ट्रेट यदि ऐसे कारणों से जो वह अभिलखित करेगा, उचित समझे, किसी ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकेगा कि वह उस अपराध से सम्बद्ध सभी तथ्यों को पूर्णरूप से और सच्चाई से प्रकट करें।

मुखबिर बन जाने पर अभियुक्त को क्षमादान

(2) ऐसा व्यक्ति उस मामले में सक्षम साक्षी हो जायगा और ऐसे अपराध के लिये तब तक दण्ड का भागी न होगा जब तक क्षमादान बना रहे।

29— इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों की कोई बात डेंजरस ड्रग्स ऐक्ट, 1930 की या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम की जो निर्मित अफीम के {\*\*\*} भारत में उपयोग या दुर्व्यापार पर कोई ऐसा निर्बन्धन अधिरोपित करता है, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित न किया गया हो, या ऐसा निर्बन्धन अधिरोपित करता है जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित तत्स्थानी निर्बन्धन से मात्रा में अधिक हो, वैधता पर कोई प्रभाव न डालेगी।

डेंजरस ड्रग्स ऐक्ट, 1930 के संबंध में व्यावृत्ति 1930 का 2

- 1. एडेप्टेशन आफ, लाज आर्डर, 1950 द्वारा (क्राउन) के लिये प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (सेकेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउन्सिल) के लिये प्रतिस्थापित हुआ था।
- 2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1961 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
- एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।
- एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (फिटिश) निकाला गया।

#### THE UNITED PROVINCES OPIUM SMOKING ACT, 19341

#### [U. P. ACT No. III OF 1934]

Amended by the U. P. Act No. XXV of 1953<sup>2</sup> U. P. ACT No. XXIII OF 1961

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order,1937

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

[Received the assent of the Governor on March 17, 1934, and of the Governor General on April 19, 1934, and was published<sup>3</sup> under section 81 of the Government of India Act on May 5, 1934.

Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 1953, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 29, 1953.

Received the as sent of the President on October 6, 1953, under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated October 9, 1953.]

#### AN

#### ACT

to amend the Law relating to opium smoking in the United Provinces.

WHEREAS it is expedient to amend the law relating to opium smoking in the United Provinces with a view to make provision for the registration of persons who are opium smokers and to secure the ultimate prohibition of opium smoking in the United Provinces;

AND WHEREAS the previous sanction of the Governor-General has been obtained under sub-section (3) of section 80-A of the Government of India Act to the passing of this Act.

It is hereby enacted as follows: --

#### **CHAPTER I**

#### **PRELIMINARY**

Short title, extent and Commencement U. P. Act No. II of 1925

- 1. (1) This Act may be called the United Provinces Opium Smoking Act, 1934.
  - (2) It extends to the whole of [Uttar Pradesh]<sup>4</sup>.
  - (3) It shall come into force on such date<sup>5</sup> as the [State Government]<sup>6</sup> may, by notification, appoint on this behalf; and on and from that date the United Provinces Opium Smoking Act, 1925, shall be repealed.
  - 1- For S.O. R., see Gazette, 1933, Pt.VIII p. 188.
  - 2- For S. O. R. see Gar. Extra. dated July 6,1953.
  - 3- See Gaz., 1934, Pt. VII, pp. 30-33.
  - 4- Subs. by the A. O. 1950 for (the United Provinces).
  - 5- The Act came into force on August 1,1935, see notification no. 337/XII-95, dated July 11, 1935, in Gaz. 1935, Pt. I, p. 932.
  - 6- Subs. by the A. 0.1950, for (Provincial Government) which had been substituted by the A. O. 1937 for (L. G.).

Definiti	ons	
Opium	Act	I
1878		

- 2. In this Act<sup>1</sup>, unless there in any thing repugnant in the subject of context:-
  - (1) "opium" has the same meaning as in the Opium Act, 1878;

Prepared opium

(2) "prepared Opium" means any product of opium obtained by any operation or series of operations designed to transform opium into an extract suitable for smoking, and includes chandu, madak, and the dross, or other residue remaining after opium is smoked;

Place

(3) "place" includes a building, house, shop. Booth, tent, vessel, raft and vehicle and any part thereof;

Collector

(4) "Collector" means the chief officer in charge of the revenue administration of a district, and includes a Deputy Commissioner and the Superintendent, Dehradun;

Magistrate

(5) "Magistrate" means a magistrate of the first class or a Magistrate of the 2<sup>nd</sup> class specially empowered by the [State Government]<sup>2</sup> to try cases under this Act;

Exercise commissioner U.P Act 4 of 1910 (6) "Excise Commissioner" means the officer appointed by State Government under section 10 (2) (a) of United Provinces Excise Act, 1910;

Officer of the Excise
Department

(7) "officer of the Excise Department" means the Excise commissioner or an officer appointed under section 10 (2) (d) of the United Provinces Excise (Act 1910), and includes, an officer or person empowered under section 10 (2) (e) of that Act;

Notification

(8) 'Notification' means a notification published in the official Gazette; and

Registered smoker

(9) "registered smoker" means a person registered under the provisions of this Act as a smoker of prepared opium.

#### **CHAPTER II**

#### PROHIBITION AND CONTROL

Register of smokers

- 3. (1) The [State Government]<sup>2</sup> shall cause a register to be prepared of persons who are not under the age of twenty five years and who are in the habit of smoking prepared opium.
  - 1- This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area;

Area	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
<ol> <li>Rampur district</li> </ol>	•••		•••
2. Banaras District	Banaras (application of Laws) Order, 1949	No. 1892/XVII, dated June 27, 1950	July 1, 1950
3. Tehri-Garhwal district	Tehri Garhwal (Application of laws) Order, 1949	No. 1826/XVII, dated June 27, 1950	Ditto

<sup>2-</sup> Subs. by the A.O. 1950 for (Provincial Government) which had been substituted by the A.O. 1937 for (Local Govt.).

- (2) Such register shall be prepared by such authority and in such manner as the [State Government]<sup>1</sup> may, by rules made under this act, prescribe, and shall contain such particulars and shall be in such form as the Excise Commissioner may be notification prescribe.
- (3) Such register shall be closed on a date to be fixed and notified in the official Gazette by the [State Government]<sup>1</sup> and, subject to such exception as the [State Government]<sup>1</sup> may by notification prescribe, no such entry shall be made there in after such date.
- (4) All persons who are eligible for being registered under this Act as smoker of prepared opium shall, up to the date fixed for closing the entries in the register be considered as registered smokers, whether their names are actually entered in the register or not.

Smoking prepared opium by unregistered smoker

Manufacture and possession by registered smoker

Act I of 1878

Assistance in the manufacture of prepared opium

Presumption of smoking prepared opium in certain cases

5.

7.

8.

Sale of prepared opium

Opium smoking assembly

1. (1) No person, not being a registered smoker, shall Smoke or manufacture or possess prepared opium in any quantity what soever.

(2) No registered smoker shall have in his possession, or shall manufacture, at any one time, prepared opium in excess of half a tola in weight or such other lesser quantity as the State Government]<sup>1</sup> may by rule made under this Act, proscribe:

Provided that in no case shall a registered smoker manufacture any prepared opium from opium obtained otherwise than in accordance with rules made under section 5 of the Opium Act, 1878 and no registered smoker shall have in his possession any quantity of prepared opium so manufactured.

(3) No person shall assist another, whether a registered opium smoker or not, in the manufacture of prepared opium.

If any person not being a registered smoker, is found in possession of prepared opium or any apparatus used for the smoking of, or the manufacture of, prepared opium, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such person smokes prepared opium.

6. No person shall sell, expose or offer for sale or attempt to sell, prepared opium.

An assembly of two or more persons, whether registered smokers or not, is designated an opium smoking assembly if the common object of such persons is to smoke or manufacture prepared opium.

Explanation--- An assembly which was not as opium smoking assembly when it assembled may subsequently become such an assembly.

Member of opium smoking assembly

Whoever being aware of facts which render an assembly an opium smoking assembly, joins that assembly or continues therein, is said to be a member of that assembly.

<sup>1-</sup> Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. O. 1931 for (L:G.).

9.

Presumption
raised by
presence of
opium and
smoking
apparatus

The presence of any prepared opium for or any pipes or apparatus for the smoking of prepared opium for of any apparatus used in the manufacture of prepared opium in any place where two or more persons, whether registered smokers or not, are assembled hall be held sufficient to raise a presumption that shall persons have assembled at such place with the common object of smoking or of manufacturing prepared opium.

## Powers to make rules

- 10. (1) The [State Government] may, by notification, make rules for the purpose of carrying out the provisions of t his Act.
  - (2) In particular awl without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), such rules may-
    - (a) prescribe the authority by whom and the manner in which, the register reformed to in section 3 shall be prepared and maintained;
    - (b) regulate the conditions and restrictions subject to which a registered smoker may manufacture, possess or smoke prepared opium;
    - (c) prescribe the conditions under which and the authority by whom the name of a registered smoker may be removed from the register;
      - (d) regulate the disposal of things confiscated under this act, and
    - (e) prescribe and regulate the payment of rewards out of fines imposed under this Act,
  - (3) The power conferred by this section for making rules is subject to the condition that the rules be made after previous publication:

Provided that any such rules may be made without previous publication if the [State Government]<sup>1</sup> considers that they should be brought into force at once.

#### Liability of a registered smoker to the removal of his name from the register of smokers

11. Any registered smoker who does not comply with the conditions and observe the restrictions prescribed by rules made under this Act, shall, in addition to the penalties hereinafter prescribed, be liable to have his name removed from the register of smokers.

#### **CHAPTER III**

#### For smoking by un-Registered smoker

12.

Whoever, not being a registered smoker, smokes prepared opium shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

## For unauthorised manufacture or possession of prepared opium

13. Whoever, in contravention of section 4, manufactures or has in his possession prepared opium or assists any other person in the manufacture of prepared opium, shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

#### [The United Provinces Opium Smoking Act, 1934]

14.

15.

16.

17.

18.

19.

[Section 14-19]

For being member of an opium smoking assembly Whoever is a member of an opium smoking assembly shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

For keeping or having charge of place used for smoking prepared opium

Whoever opens, keeps or uses any place or permits any place to be opened, kept or used for the purposes of an opium smoking assembly or has the care or management of, or in any way assists in conducting the business of, any place used or kept for the purposes aforesaid, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

For stilling prepared opium

Whoever sells, or exposes or offers for sale, or attempts to sell, prepared opium shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

For abetment of offences

Whoever a bets an offence punishable under this Act shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment, and notwithstanding anything contained in section 116 of the Indian Penal Code to be punished with the punishment provided for such offence.

Enhanced punishment after previous conviction

Whoever, having been previously convicted of an offence under this Act, is again convicted of an offence under this Act, shall be liable for such subsequent offence to twice the punishment which-might be imposed on a first conviction:

Provided that in the case of a third or subsequent conviction the offender shall be sentenced to imprisonment with, or Without fine.

## CHAPTER IV PROCEDURE

Search warrant and power to search

If a Magistrate, upon information received and after such enquiry (if any) as he considers necessary, has reason to believe that any place is used for the commission of an offence under this Act he may issue a warrant to an officer of the Excise Department not below such rank as the [State Government]<sup>1</sup> may prescribe authorizing him--

- (a) to enter such place by day or by night with any person whose assistance such officer may consider necessary;
- (b) to search all or parts of such place in which such officer has reason to believe that any prepared opium or any apparatus for the manufacture of prepared opium or for smoking prepared opium is concealed and all or any poisons whom he may find in such place;

Subs. by A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by. A.O 1937 for (Local Government).

- (c) to arrest any person found in such place whom he has reason to believe to be guilty of all offence under this Act; and
- (d) to seize all prepared opium, apparatus for smoking prepared opium or for the manufacture of prepared opium and any other article used for the commission of an offence under this Act, which may be found in such place.

## [Power to 19-A search

Whenever the Collector or any officer of the Excise Department authorized in that behalf by the State Government, or a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being committed in any place and anything necessary for purposes of investigation into the offence may be found in any place within the limits of his territorial jurisdiction and that such a thing cannot, in his opinion be otherwise obtained without undue delay, he may after recording in writing the grounds of his belief search or cause to be made of any such place.]

# [Applicability of the code of Criminal Procedure, 1898 to warrant and search

- 20. (1) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1898, including provision as to the searches contained in sections 102 and 103 thereof, shall in so far as not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the execution of warrants for arrest and to a search made under this Act.
  - (2) Where a search is made under section 19-A, copies of any record made under that section shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place of search shall on application be Furnished with a copy of the same by the Magistrate:

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.]<sup>2</sup>

#### Report to be made in case of arrest or seizure

21.

23.

Whenever any officer makes any arrest or seizure under this Act, he shall within twenty-four hours next after such arrest or seizure, make a full report of all particulars thereof to his immediate official superior; and every person arrested and every artile seized shall be forwarded without delay to the officer by whom the warrant was issued to the nearest police station.

## Bail and Security

When any person arrested under this Act is prepared to furnish bail, he shall be released on bail, or at the discretion of the officer making the arrest, on his personal bond.

#### Aid to officers of Excise Department

Every officer of the police and land Revenue Departments, every [Pradhan and Secretary of a Gaon Sabha]<sup>3</sup> and every village chaukidar shall, upon notice given or request made to him be bound to give reasonable aid to any officer of the Excise Department in carrying out the provisions of this Act.

.....

- 1. Add. by section 2 of U. P. Act XXV of 1953.
- 2. Subs. by section 3 ibid.
- 3. Subs. by section 2 of U, P. Act No. XXIII of 1961.

#### [The United Provinces Opium Smoking Act, 1934]

24.

25.

26.

27.

28.

[Section 24-29]

Confiscation and destruction of prepared opium and things seized On the conviction of any person for an offence under this Act, the court may order that any prepared opium or any instrument or apparatus in respect of or by means of which, such offence has been committed or any receptacle, package or covering in which such prepared opium instrument, or apparatus was found and any other contents of such receptacle, package or covering shall be confiscated or destroyed.

## Cognizance offences

No Magistrate shall take cognizance of an offence punishable under this Act except on the complaint or report of the collector or an officer of the Excise Department not below the rank of an Excise Inspector.

#### **CHAPTER V**

#### **MISCELLANEOUS**

## Bat of certain suit

No suit shall lie in any Civil Court against the [Government]<sup>1</sup> or a Collector or [any Officer of the Excise, Police or Land Revenue Departments, Pradhan or Secretary of a Gaon Sabha or village Chaukidar]<sup>2</sup> for damages for any act in good faith done or ordered to be done in pursuance of this Act.

## Limitation of suit and prosecution

No Civil Court, shall try any suit against the [Government]<sup>1</sup> or a Collector or [any Officer of the Excise, Police or Land Revenue Departments, Pradhan or Secretary of a Gaon Sabha or Village Chaukidar]<sup>2</sup> in respect of anything done in pursuance of this Act and except with the previous sanction of the [State Government]<sup>3</sup> no Magistrate shall take cognizance of any charge made against any person under this Act, unless the suit or prosecution is instituted within six months after the date of the act complained of.

#### Tender of pardon to accused person turning approver

- (1) Whenever two or more persons are prosecuted for any offence under this Act, the Magistrate may, if, for reasons to be recorded by him, he thinks fit, tender to any such poison a Pardon on condition of his making full and true disclosures of all facts connected with the offence.
- (2) Such person shall become a competent witness in the case and will not be liable to punishment for such offence so long as such pardon remains.

#### Saving of the Dangerous Drugs Act, 1930

29.

Nothing in this Act or in the rules made under this Act shall affect the validity of the Dangerous Drugs Act, 1930 or of any rule made thereunder which imposes any restriction not imposed by or under this Act or imposes a restriction greater in degree than a corresponding restriction imposed by, or under, this Act, on the consumption of, or traffic in, prepared opium with in [\*\*\*] India.

Act II of 1930

Subs. by the A. O. 1950 for (Crown) which had been subs. by the A. O. 1937 for (Secretary of State for India in Council).

<sup>2.</sup> Subs. by s. 2 of U. P. Act No. XXIII of 1961.

<sup>3.</sup> Subs. by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.).

<sup>4.</sup> The word (British) omit. by the A. O. 1950.